सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 04, गुरूवार, *शाके* 1947- अप्रेल 24, 2025 *Vaisakha 04, Thursday, Saka 1947- April 24, 2025*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 16, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1))

संख्या F.1(62)UDH/UDAIPUR/2024 :-यह कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सेवाश्रम चौराहा से हिरन मगरी से 03,04,05 क्षेत्र में जाने हेतु मार्ग में आने वाले सेवाश्रम रेल्वे ऑवरब्रिज के पश्चिमी दिशा की तरफ सर्विस रोड निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

सर्विस रोड निर्माण हेतु सड़क मार्गाधिकार में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अधीन नेहरू हॉस्टल परिसर से 1062 वर्गमीटर (11427.12 वर्गफीट) भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार निम्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन हेतु संबधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के नियम 6 (8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3 (जी) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर होंगे।

विवरण संलग्न सूची अनुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

राकेश कुमार-I,
शासन उप सचिव- III

सेवाश्रम चौराहा से हिरन मगरी से 03.04.05 क्षेत्र में जाने हेतु मार्ग में आने वाले सेवाश्रम रेल्वे ऑवरब्रिज के पश्चिमी दिशा की तरफ सर्विस रोड निर्माण हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन् पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) की कार्यवाही बाबत् प्रस्ताव

तहसील गिर्वा ग्राम उदयपुर शहर एवं मनवाखेड़ा

क्र. स.	**राजस्व ग्राम**	**खसरा संख्या**	**कुल क्षेत्रफल हेक्ट.**	**अवाप्त किये हेक्टयर में जाने किस्म वाला क्षेत्रफल**	**किस्म हेक्टयर में**
1.	उदयपुर शहर	920	6.7000	0.0520	मगरी द्वितीय
2.	मनवाखेडा	1381	0.2000	0.0017	रास्ता
3.	मनवाखेडा	1394	03500	0.0250	आबादी
4.	मनवाखेडा	1395	0.1500	0.0115	मगरी
5.	मनवाखेडा	1398	3.1900	0.0160	मगरी
	योग			**0.1062**	

फार्म-2

(देखिये नियम-5)

पार्ट-बी सामाजिक समाघात निर्धारित की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारित की अधिसूचना में सम्मिलित होगा:

क्र.सं.	**परियोजना विकासकर्ता का नाम**	**उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर**
क	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र एवं प्रभावित क्षेत्र	सेवाश्रम चौराहा से हिरन मगरी से. 03,04,05 क्षेत्र मे जाने हेतु मार्ग में आने वाले सेवाश्रम रेल्वे ऑवरब्रिज के पश्चिमी दिशा की तरफ सर्विस रोड निर्माण, प्रभावित क्षेत्र कमला नेहरू हॉस्टल
ख	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वूपर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई / सुनवाईया भी दे।	(1)परामर्श (2)सर्वेक्षण (3)सार्वजनिक सुनवाई

ग	यदि ग्राम सभा और / या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अंतर्गत लागू नहीं है।
घ	सामाजिक समाधात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया एवं समय के अनुसार
ड	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रपीडन हां या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हां
च	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	आयुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।